वित्त निर्देश 44/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 414/एफ–2017–55–00012/वि/नि/चार   नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– सामान्य भविष्य निधि खातों के ऋणात्मक शेष के रोकथाम के संबंध में
संदर्भ :– वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 266/एफ–2014–02–00470/वित्त/नियम /चार, दिनांक 13 जून, 2017 (वित्त निर्देश 24/2017)

——— 00 ———

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 13.06.2017 द्वारा सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष की रोकथाम के संबंध में आहरण संवितरण अधिकारियों एवं कोषालय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य शासन को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा सामान्य भविष्य निधि के समस्त खाता धारकों के खाते में प्रत्येक त्रैमास (Quarter) में जमा/आहरण की समस्त जानकारी एवं सेवानिवृति पश्चात् अंतिम भुगतान के प्राधिकार पत्र की जानकारी भी डाटा फाईल के रूप में उपलब्ध करने की व्यवस्था की गयी है, अतः महालेखाकार कार्यालय से समस्त अभिदाताओं के जमा/आहरण एवं अंतिम भुगतान के आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् सामान्य भविष्य निधि से किसी भी प्रकार के ऋणात्मक आहरण की संभावना नहीं रहेगी, इस हेतु संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा e-bill Software में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

(1) अस्थायी अग्रिम/आंशिक अंतिम विकर्षण के देयक तैयार करते समय महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त अभिदाता के अंतिम शेष की जांच की जावेगी, यदि देयक की राशि अभिदाता के खाते में उपलब्ध शेष से अधिक है, तो Software द्वारा ऐसा देयक मान्य नहीं किया जायेगा। खाते में पर्याप्त शेष उपलब्ध होने की स्थिति में ही देयक तैयार करने की अनुमति होगी।

(2) अंतिम भुगतान के देयक तैयार करते समय महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त प्राधिकार पत्र की राशि की जाच की जाकर प्राधिकार पत्र में अंकित राशि के बराबर राशि का ही देयक Software द्वारा तैयार करने दिया जावेगा, देयक की राशि प्राधिकार पत्र में अंकित राशि से अधिक होने पर ऐसा देयक मान्य नहीं किया जायेगा।

अतः समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी सामान्य भविष्य निधि के समस्त देयक संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के e-bill Software के माध्यम से ही तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा किसी कर्मचारी के महालेखाकार द्वारा प्रदत्त Online लेखापर्ची एवं उक्त कर्मचारी के पासबुक में अंकित विवरण में भिन्नता होने पर महालेखाकार कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अंतर का निराकरण करना सुनिश्चित करें। समस्त कोषालय अधिकारी केवल e-bill Software के माध्यम से प्राप्त देयक ही पारित करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में ऋणात्मक शेष की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

समस्त कार्यालय प्रमुख एवं कोषालय अधिकारी उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

23/9/17

(अमिताभ जैन)
प्रमुख सचिव

पृ.क्र. 415/एफ–2017–55–00012/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 23 सितंबर, 2017
प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
11. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
12. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
15. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
16. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
17. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

18. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(एस.के. चक्रवर्ती) 23/9/2017
संयुक्त सचिव